British parliament

- सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से ब्रिटिश संसद में राजमुकुट लार्ड सभा और कॉमन्स सभा तीनों आ जाते हैं।
- लार्ड सभा को उच्च सदन या दूसरा सदन कहा जाता है, कॉमन्स सभा को निम्न सदन या अवर सदन कहा जाता है।
- व्यावहारिक और राजनीतिक कारणों से कॉमन्स सभा को ब्रिटिश संसद का पर्याय-वाची समझा जाता है।
- ए० वी० डायसी के अनुसार, कानूनी दृष्टि से संसद की प्रभुसत्ता इंगलैण्ड की राजनीतिक संस्थाओं की प्रमुख विशेषता है।
- विलियम ब्लैकस्टन के शब्दों में - संसद को कानून बनाने, उसकी पुष्टि, विस्तार या व्याख्या करने का सर्वोपरि और असीम अधिकार है। ये कानून किसी भी तरह के हो सकते हैं - चाहे वो धार्मिक हों या सांसारिक हों, दीवानी हों या फौजदारी हों।
- ब्रिटिश संसद को प्रभुसत्तासम्पन्न मानने का मुख्य कारण यह है कि वहाँ कोई लिखित संविधान नहीं है।
- शासन प्रणाली से जुड़ी हुई प्रथाएँ, न्यायिक दृष्टान्त और संसद के अधिनियम ही वहाँ के संविधान के आधार हैं।
- परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से, संसद की शक्ति सर्वथा असीम नहीं है। लेस्ली स्टीफन के अनुसार, संसद की वास्तविक शक्तियाँ आन्तरिक दृष्टि से भी कुछ सीमाओं से बंधी हैं, बाह्य दृष्टि से भी। आन्तरिक दृष्टि से देखा जाए तो स्वयं विधानमंडल सामाजिक स्थितियों की देन

है। अतः यह वही कानून बना सकता है जो सामाजिक दृष्टि से मान्य हो। वाह्य दृष्टि से देखा जाए तो संसद अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध भी नहीं जा सकती।

* ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं।

(i) कॉमन्स सभा (House of Commons)

(ii) लार्ड सभा (House of Lords)

pol-sc (Hons)
part-I
paper-II

Rama Kant Pandey
S.R.A.P. College
Bara chakiya
B.R.A.B.U (Muz.)